

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2061
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

स्वायत्त निकायों में रिक्तियां

2061. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत संस्वीकृत पदों के सापेक्ष कोई रिक्तियां हैं;
- (ख) यदि हां, तो रिक्तियों को न भरे जाने के कारणों सहित तत्संबंधी समूह-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या मंत्रालय के अंतर्गत एनसीपीसीआर, सीएआरए, एनसीडब्ल्यू, एनआईपीपीसीडी आदि जैसे विभिन्न स्वायत्त निकायों के अंतर्गत संस्वीकृत पदों के सापेक्ष कोई रिक्तियां हैं;
- (घ) क्या मंत्रालय और इसके अधीन स्वायत्त निकायों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कतिपय उपाय किए गए हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) और इसके स्वायत्त/सांविधिक निकायों अर्थात् राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) में रिक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

29.11.2024 तक

संगठन	समूह क		समूह ख		समूह ग	
	स्वीकृत	रिक्त पद	स्वीकृत	रिक्त पद	स्वीकृत	रिक्त पद
एमडब्ल्यूसीडी	80	13	110	28	76	21
एनसीपीसीआर	10	7	13	12	13	13

कारा	21	5	7	6	9	3
एनसीडब्ल्यू	20	4	43	30	1	1
निपसिड	88	37	81	39	118	48

रिक्त पदों पर भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। मंत्रालय और इसके स्वायत्त संगठनों में विभिन्न ग्रेडों में रिक्तियां पदधारियों की सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा होने, त्यागपत्र, मृत्यु और पदोन्नति के कारण होती हैं। मंत्रालय (मुख्य सचिवालय) के समूह 'क' पदों पर भर्ती और पदोन्नति संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से की जाती है। समूह 'ख' और 'ग' पदों पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के माध्यम से की जाती है। मंत्रालय, नियमित आधार पर संबंधित संसमूह नियंत्रण प्राधिकरणों को रिक्तियों की सूचना इस अनुरोध के साथ देता है कि रिक्त पदों को उनके भर्ती नियमों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। जहां तक मंत्रालय के अधीन स्वायत्त/सांविधिक निकायों का संबंध है, रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति और पदों के विज्ञापन के माध्यम से भरा जाता है।
